

बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

फूमांक: १२५९ /अकादमी/ २०२१/

दिनांक: २५-X-२१

-सूचना-

आध्यक्ष महोदय, विद्यानसभा द्वारा निम्नानुसार दर्शित जानकीय विद्यायकों को बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल में सभा (कोटी) में सदस्य हेतु चयनित किया गया है:-

सं. क्र.	मानकीय विद्यायक का नाम (१)	स्थानीय तथा स्थाई पता (३)
	(२)	
१.	श्री आरिफ मसूद	१. ई-११४/१, शिवाजी नगर, भोपाल २. म.वं. १६ बीमत बाली राडक पुराना गला बाजार, शाहजहांगाबाद, भोपाल (म.प्र.)
२.	श्री उमाकांत शर्मा	१. कमरा नम्बर - ४८, ४९ खण्ड -०१ विद्यायक विश्वाम गृह, भोपाल २. गणेश की अद्याई वार्ड नं. १९ सिरोज जिला विदिशा (म.प्र.)
३.	श्रीमती कृष्णा गौर	१. बी-०६, रवानी दयानंद नगर (७४ बंगले), भोपाल २. कमरा नम्बर - ९६, ९७, ७२ खण्ड -०३ विद्यायक विश्वाम गृह, भोपाल (म.प्र.)
४.	श्री पी.रो.शर्मा	१. एफ-१/७ ११०० क्वार्टर्स, भोपाल (म.प्र.) २. एफ-१/७ ११०० घाटर्स, भोपाल (म.प्र.)
५.	श्री रामेश्वर शर्मा	१. ६५ पत्रकार कॉलोनी, लिंक रोड वं. ३ कोलार रोड, भोपाल। २. ६५ पत्रकार कॉलोनी, लिंक रोड वं. ३ कोलार रोड, भोपाल।
६.	श्री विष्णु खन्नी	१. कमरा नम्बर - १९, खण्ड । नवा परिवारिक विद्यायक विश्वाम गृह, भोपाल २. म.वं. १४९, ओज शिव नगर, लालघाटी, भोपाल (म.प्र.)
७.	श्री शशांक श्रीकृष्ण	१. कमरा नं. ३०, ३१, विद्यायक विश्वाम गृह, खण्ड-३, भोपाल (म.प्र.) २. इंद्र भवन, विविल लाइब्रेरी, विदिशा (म.प्र.)
८.	श्री सुदेश राय	१. कमरा नं. ४२, ४३, विद्यायक विश्वाम गृह, खण्ड-३, भोपाल (म.प्र.) २. राय विला, होटल बीटोट के दोछे, इंदौर भोपाल रोड, सीहोर, जिला सीहोर (म.प्र.)

विश्वविद्यालय सभा (कोटी) की बैठक आयोजन के संबंध में जानकीय सदस्यों को तदनुसार सूचित किया जाएगा।

आदेशानुसार,

कुलसंग्रहीत

पृ.फूमांक: १२८० /अकादमी/ २०२१/ .

प्रतिलिपि :-

१. समस्त सम्मानकीय सदस्यों की ओर सादर सूचनार्थ।
२. कुलपतिजी के सचिव।
३. कुलसंग्रहीत जी के निज सहायक।
४. नस्ती प्रति।

दिनांक: २५-X-२१

500/-



बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

१

क्रमांक: १३७ द.विवि./अकादमी/समा.नियु./2022

भोपाल, दिनांक: ०२.०६.२२

सूचना—

मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 20(1) की उपधारा (सोलह) एवं (सत्रह) के प्रावधानानुसार कुलाधिपति, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय भोपाल के द्वारा निम्नांकित व्यक्तियों को बरकतउल्ला विश्वविद्यालय भोपाल की "सभा" में सदरय नाम निर्देशित किया गया है:-

धारा - 20(1) की उपधारा (सोलह) के अन्तर्गत :-

1. प्रो. संतोष कुमार, पूर्व कुलपति, डॉ. हरिशंह गौर विश्वविद्यालय, सागर (ग.प्र.)।
2. प्रो. सरमन रिंग, सेवानिवृत्त निदेशक एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी आखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान भोपाल (म.प्र.)।

धारा - 20(1) की उपधारा (सत्रह) के अन्तर्गत :-

1. डॉ. राजन कटोच, आई.ए.एस. (सेवानिवृत्त)।
2. डॉ. मुरली कृष्ण, 29 डी.के. देवरथली, फेज.-2 दग्नापानी के पास, बावड़िया कला, भोपाल।
3. डॉ. अशोक के. पात्रा, निदेशक भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान, भोपाल।
4. डॉ. गार्गी कौल, इंडियन ऑफिट एण्ड अकाउन्ट्स रार्विस (सेवानिवृत्त)।

आदेशानुसार,

कुलसचिव

बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

भोपाल, दिनांक: ०२.०६.२२

पृ.क्रमांक: १३८ द.विवि./अकादमी/समा.नियु./2022

प्रतिलिपि:-

1. समस्त मान. रामा सदरयों की ओर सूचनार्थ।
2. राज्यपाल के अपर सचिव राजभवन भोपाल म.प्र. की ओर उनके पृष्ठांकित पत्र क्र. ए. ६७८/रा.स./पूर०३/ दिनांक 24 मई 2022 के संदर्भ में रादर सूचनार्थ।
3. कुलपति के निज राज्यक के माध्यम से कुलपतिजी के सूचनार्थ।
4. कुलसचिव के निज-
5. सहायक के माध्यम से कुलसचिवजी के सूचनार्थ।
6. प्रनारी.आई.टी. सेल, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय भोपाल की ओर अपलोड किए जाने के आशय के राधा प्रेषित।
7. संदर्भित नहीं।

उप-कुलसचिव, अकादमी

बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल